



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-622/MP/34/2022-ESDW
फाइल. सं. NCST/DEV-1109/MP/8/2022-ESDW
फाइल. सं. NCST/DEV-1443/MP/8/2023-ESDW
फाइल. सं. NCST/ATY-875/MP/11/2023-APCR

दिनांक: 10.04.2023

सुश्री तन्वी हुड्डा,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला झाबुआ,
कलेक्टर कार्यालय,
झाबुआ - 457661
मध्य प्रदेश
ई-मेल : dmjhabua@nic.in

विषय: दिनांक 10.04.2023 को आयोग मुख्यालय में विभिन्न मुद्दों पर होने वाली सिटिंग/सुनवाई के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आपके पत्र सं. क्रमांक/2023/जे. सी. /2258 दिनांक 06.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो सुनवाई/सिटिंग दिनांक 10.04.2023 को आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष होने वाली थी, अब वह दिनांक 26.04.2023 को 10:30 बजे पुनर्निर्धारित कर दी गयी है।

2. निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है की सभी दस्तावेजों के साथ पुनर्निर्धारित तिथि और समय पर सुनवाई/सिटिंग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी